आज ही जारी हो
न्यायिक प्रकरण

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

कमांकः— 1093-1146 दिनांकः— 3.2.2015

पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान मय जी.आर.पी जयपुर।
समस्त उपायुक्त पुलिस, जयपुर/जोधपुर
समस्त पुलिस अधीक्षकगण राजस्थान मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर।

विषयः—डायन प्रथा के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही के सम्बन्ध में।

डी.बी. सिविल रिट(पी.आई.एल.) पिटिशन संख्या 5324/2010 राजस्थान राज्य बनाम शंकर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन है। इसकी सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर नें उनके आदेश दिनांक 24.09.14 एवं 11.12.14 में अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों में डायन प्रथा की घटनाओं के प्रकरणों में की जा रही कार्यवाही को पर्याप्त नहीं माना है एवं अप्रसन्नता व्यक्त की है। ऐसी घटनाओं की रोकथाम एवं इनसे सम्बन्धित दर्ज प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही हेतु राज्य सरकार द्वारा विशिष्ठ शासन सचिव, गृह(ग्रुप—13) विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र कमांक प.6(13) गृह—13/04 दिनांक 16.09.2004 (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न) द्वारा विस्तृत दिशा—निर्देश जारी किये गये है। इन दिशा—निर्देशो की पालना के सम्बन्ध में मुख्यालय के पत्र संख्या प.6(1) पु.अ./म.अ./पॉलिसी/01/3723—69 दिनांक 07.10.04, 8051—59 दिनांक 03.12.10 एवं 5229—5240 दिनांक 09.09.2011 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

अतः पुनः लेख है कि डायन प्रथा से सम्बन्धित प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही कर पूर्व में दिये गये विस्तृत दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अति. महानिदेशक पुलिस, सिविल राईट्स/ए.एच.टी. राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, गृह(ग्रुप—13) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र संख्या प. 10(1) गृह—13/2014 दिनांक 16.01.15 के कम में।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-13) विभाग

प.6(13)गृह-13/04 जयपुर, दिनांक 16.07.2004

परिपत्र

विषयः-महिला अत्याचारों (विशेष रूप से डायन प्रथा) के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही के संबंध में।

जैसा कि विदित है, महिलाओं पर अत्याचार का विषय अत्यन्त ही गम्भीर एवं संवेदनशील है। यद्यपि महिलाओं पर अत्याचार के कारण दर्ज प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश दिये गये है, इन प्रकरणों में तत्काल कार्यवाही वांछनीय होती है, परन्तु फिर भी कुछ ऐसे प्रकरण होते है, विशेषकर दूर दराज, ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनमें तत्काल पुलिस कार्यवाही में विलम्ब होता है जिससे अभियुक्त गण के विरूद्ध अन्वेषण के दौरान साक्ष्य एकत्रित करने एवं वांछित कार्यवाही करने में कठिनाई आती है और पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल पाता है। इससे जन-मानस में आक्रोश उत्पन्न होता है।

आज के इस वैज्ञानिक युग में महिलाओं पर अत्याचार होना विशेष रूप से डायन प्रथा जैसी कुरीतियों की वजह से समाज के कुछ लोगों द्वारा किसी भी महिला को डायन बताकर उसे अमानवीय यातनायें देना, सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करना एवं निर्मम हत्या करने का घोर निन्दनीय कृत्य सामने आता है, जिसकी तत्काल रोकथाम किया जाना आवश्यक है।

अतएव ऐसे प्रकरणों में निम्नांकित दिशा-निर्देश दिये जाते हैं, जिनकी पालना सुनिश्चित की जावे:-

1. ऐसे प्रकरणों को तत्काल दर्ज किया जाकर उसका शीघ्र अनुसंधान कर, अन्वेषण का नतीजा न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। किसी रिपोर्ट की प्रतीक्षा न की जावें।
2. बिना समय व्यतीत किये पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जावे।
3. इन प्रकरणों का अनुसंधान संबंधित वृत्ताधिकारी के पर्यवेक्षण में कराया जावे।
4. अभियोग दर्ज करने के पश्चात पीड़िता के द.प्र.स. की धारा 164 के अन्तर्गत अविलम्ब बयान दर्ज कराये जाये।
5. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक एवं महानिरीक्षक रेंज अपने क्षेत्राधिकार में ऐसे प्रकरणों की पाक्षिक/मासिक समीक्षा कर यह सुनिश्चित करें कि दर्ज प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही की जा रही है। किसी भी क्षेत्र में डायन प्रकरण घटित होने एवं उस पर तत्काल कार्यवाही नहीं होने की दशा में संबंधित वृत्ताधिकारी की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जावें।
6. डायन होने की मिथ्या परिकल्पना की जाती है, जो अवैध है। अतः प्रचार प्रसार के माध्यम से इस कुरीति को हटाने का प्रयास किया जावे।

विशिष्ट शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. प्रमुख शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग।
3. महानिदेशक पुलिस
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त महा निरीक्षक पुलिस रेंज
6. समस्त जिला कलक्टर
7. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
8. निदेशक जन सम्पर्क निदेशालय जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव,

।। कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. (अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः-46(1)पु.अ./म.अ./पोलिसी/01/ 3723-69 दिनांकः-7-10-04

प्रतिलिपि :-

1. समस्त रेन्ज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान एवं उप महानिरीक्षक पुलिस,जी.आर.पी., अजमेर ।
2. समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण एवं जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

महानिरीक्षक पुलिस(एच.आर.)
सी.आई.डी. (सी.बी.),राजस्थान, जयपुर ।